

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00123

देवलाल आत्मज श्री कान्हा आयु 59 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

1. बिरधी लाल आत्मज स्व० श्री धूली लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोजन्ट

अपील संख्या : 2018/00220

देवलाल आत्मज श्री कान्हा आयु 59 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

1. बिरधी लाल आत्मज स्व० श्री धूली लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये मुख्तार आम नवीन शर्मा आत्मज श्री चरण शर्मा आयु 43 वर्ष निवासी मारुति कोलोनी बृज टाकीज चौराहा, नयापुरा जिला कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोजन्ट

उपस्थित :- 1. श्री रूपेश कुमार श्रृंगी, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री हुकुमचन्द जैन, अभिभाषक, रेस्पोजन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांक: 11.12.2020

1. अपीलान्त द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 के विरुद्ध पेश की गई है ।



2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग-अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोंडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 37/14 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि कान्हा वल्द घांसी जाति चमार की खाते की आराजी ग्राम आवंली में खसरा नम्बर 07 की 03 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 09 की 01 बीघा 05 बिस्वा स्थित थी । कान्हा जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि श्रीमती पुष्पा बाई बेवा कान्हा एवं देवलाल पुत्र कान्हा नाबालिग के नाम दर्ज की गई । श्रीमती पुष्पा बाई का देहान्त वर्ष 2004 में हो चुका है । पुष्पा बाई ने कान्हा के देहान्त के बाद नाता विवाह कर लिया लेकिन उनका भी देहान्त हो चुका है । पुष्पाबाई के देहान्त से पूर्व पुष्पा बाई ने अपने पूर्व पति कान्हा की आराजी के सम्बन्ध में अपने हिस्से की वसीयत वादी के पक्ष में आलेखित कर दी थी जो दिनांक 03.08.2004 को करवायी थी । वादी ने कई बार अपनी माता पुष्पा बाई के हिस्से की आराजी में से आधा हिस्सा देने की मांग की थी परन्तु उनके द्वारा टालमटोल किया गया ।
4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी वादी की माता श्रीमती पुष्पा बाई जो कान्हा की पूर्व पत्नी होने के नाते पत्नी थी तथा कान्हा के देहान्त के बाद पुष्पा बाई व देवलाल (नाबालिग) जरिये वली के नाम खाते में दर्ज थी उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 07 रकबा 0.58 हैक्टर व खसरा नम्बर 13 रकबा 0.09 हैक्टर आराजी बराबर से तक्सीम की जाकर मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर आधे हिस्से की डिक्री वादी के पक्ष में पारित की जावे ।
5. इसी प्रकार रेस्पोंडेन्ट क्रम 01 ने एक अन्य वाद संख्या 39/2016 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रोझडी तहसील मण्डाना में गत खसरा नम्बर 172 की रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा आराजी कान्हा वल्द घांसी की मृत्यु उपरान्त फोती इंतकाल संख्या 29 दिनांक 31.01.73 को देवलाल पुत्र कान्हा व मु0 पुष्पा बाई बेवा कान्हा के संभाग से दर्ज हुई थी और उक्त आराजी में पुष्पा बाई सेटलमेंट से पूर्व 1/2 हिस्से की खातेदार दर्ज रिकॉर्ड थी । पुष्पा बाई ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक वसीयत दिनांक 03.08.2044 को आलेखित कर उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति का वारिस वादी को बना दिया था । उक्त आराजी से बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 104 रकबा 0.82 हैक्टर कायम किये गये । सेटलमेंट विभाग ने उक्त भूमि को अकेले देवलाल के नाम दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेंट उपरान्त पुष्पाबाई जीवित थी । प्रतिवादी क्रम 01 ने सेटलमेंट विभाग से मिली भगत करके गलत रूप से पुष्पा बाई का नाम हटावा दिया जो प्रभवशून्य है ।
6. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का गत खातेदार मृतक पुष्पाबाई के स्थान पर उनका वसीयती हकदार होने से वादी को खातेदार घोषित किया जावे और राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर 1/2 हिस्सा वादी को दिया जाकर खाता पृथक से दर्ज किया जावे तथा पृथक से लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया


जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को बिना विभाजन करवाये उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द एवं रहन, बेचान नहीं करें तथा वादी को उनके 1/2 हिस्से की भूमि से वंचित करने का प्रयास नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को समेकित करते हुए उक्त दोनों दावों को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 07.07.2017 के वाद वादी स्वीकार कर दोनों वाद डिक्री कर दिये ।
8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावों को लोक अदालत में निर्णित किया है जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना उक्त दोनों दावे स्वीकार कर डिक्री किये है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 निरस्त फरमाये जावें ।
9. दोनों अपीलों में अपीलान्त ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलान्त को सर्वप्रथम दिनांक 16.02.2018 को फाइनल डिक्री की कार्यवाही में आने पर हुई । दिनांक 17 व 18.02.2018 को अवकाश होने से अपीलान्त ने दिनांक 19.02.2018 को ही नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया और दिनांक 26.02.2018 को नकल प्राप्त कर ये दोनों अपीलें पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में दोनों अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
10. दोनों अपील अपीलान्त सब्जेक्ट टू लिमिटेसन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
11. दोनों अपीलों में अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के द्वारा दावे के साथ संलग्न दस्तावेजात की नकल देने हेतु प्रस्तुत किया था जिस पर कोई आदेश पारित नहीं किया और जवाबदावे का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा कान्हा वल्द घांसी के खाते में दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्त के खाते में दर्ज हुई है । नाबालिग होने के कारण वली माता पुष्पा बाई के खाते दर्ज की गई । पुष्पाबाई कान्हा जी के जीवनकाल में ही धूलीलाल के यहाँ नाते चली गई थी इसलिए पुष्पाबाई का कान्हा की आराजी में कोई हक नहीं है । वादी रेस्पोजेन्ट धूली एवं पुष्पा बाई का लडका है जिसका इस आराजी में कोई हक नहीं है । पुष्पाबाई को इस आराजी की वसीयत करने का कोई हक नहीं था । पुष्पाबाई की मृत्यु दिनांक 04.08.2002 को हो चुकी है इसलिए दिनांक 03.08.2004 को उनके द्वारा वसीयत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । वसीयत फर्जी है कान्हा वल्द घांसी

की ग्राम आमली में जो आराजी स्थित है उस पर पुष्पा बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त आराजी में आधा हिस्सा प्राप्त करने के लिए रेस्पोजेन्ट ने एक अलग दावा कर रखा है जिसका दावा संख्या 37/14 है उसको प्रकरण संख्या 39/16 के साथ समेकित किया गया। दोनों का निर्णय एक साथ पारित किया गया है। वसीयत को प्रमाणित नहीं किया गया है। समेकित किये जाने का भी कोई आदेश नहीं है। लोक अदालत की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई। एक दावे में पुष्पाबाई की मृत्यु सन् 2004 में और दूसरे में सन् 2009 में बताया है। अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 निरस्त फरमाये जावें।

12. दोनों अपीलों में रेस्पोजेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अपील विलम्ब से पूर्व की गई है, विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है। अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 बहाल रखे जावें।
13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं। अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है।
14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रकरण संख्या 39/16 में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया है। लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन दावा डिक्री कर विभाजन की डिक्री पारित की गई है। दूसरा प्रकरण संख्या 37/14 की पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया। लोक अदालत में न तो कोई राजीनामा पेश हुआ है और न ही समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि अन्य प्रकरण के साथ समेकित करके निर्णय पारित किया गया।
15. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे। इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है। इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्त संख्या 18/123 एवं 18/220 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा-निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है दोनों दावों को समेकित करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर, समेकित तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।
17. निर्णय आज दिनांक 11.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा